रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2636] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941
No. 2636] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/ SHRAVANA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2896(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 775 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 21 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त सम्यक रुप से आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के चतरा जिले में $23^0$56' से $24^0$13' उत्तरी अक्षांश और $84^0$31' से $84^0$50' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 18 के अधीन बिहार सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 49/78/33-एफ, तारीख 15 जुलाई, 1978 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह आरक्षित वनों के 211.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य छोटानागपुर पठार (एसडी) के जैव-भौगोलिक क्षेत्र के दक्कन पठार में स्थित है। इस पर्यावास में तेंदुआ, लोमड़ी, चीतल, बनैला सूअर, रीछ, सियार, साही, लकडबग्घा, खरगोश, साल आदि का वास

है। यह अभयारण्य पलामू एवं चतरा के हाथियों के आवागमन के लिए जाना जाता है। यहाँ अक्सर दिखाई देने वाली महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ हैं-सरपेंट गरूड, पैराडाइस फ्लाई कैचर, कौडिल्ला, बी ईटर, सूइफ्ट, विभिन्न प्रकार के बब्लर्स, ब्लैक ड्रोनो, कठफोडवा, लैपविंग, मटरमुर्गा, तालाब बगुला, सफेद बगुला इत्यादि। इस अभयारण्य के वन पलामू, लावालौंग और हजारीबाग के वनों से हाथियों के आवाजाही के लिए गलियारे के रूप में कार्य करते है;

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य अमनत, चाको और नीलंजन नदी प्रणालियों के जलग्रह क्षेत्र स्थित हैं। दुधमातिया नाला, मंगरदाधा नाला, सुकनी नाला, सोनाही नाला आदि महत्वपूर्ण बारहमासी और मौसमी नाले हैं। इस संरक्षित क्षेत्र के बरसातीपानी रूकता है जों भूजल को रिचार्ज करने में सहायक है और इस संरक्षित क्षेत्र के वनों के कारण न्यूनतम मृदा अपरदन होने से नदियों और झीलों में गाद का जमाव नहीं होता। इस संरक्षित क्षेत्र में चैम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि- 5बी/सी1 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीप साल वन, 5बी/सी2 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, 5/डी.एस. शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन, (5/ई2) बोसवेलिया वन और शुष्क बांस ब्रेक यह स्तनधारियों की 11, पक्षियों की 35 से अधिक और सरीसृपों की 19 प्रजातियों की बहुत बड़ी आबादी का उत्कृष्ट पर्यावास है;

और, इन संरक्षित क्षेत्रों को सबसे बड़ा खतरा में बढ़ती आबादी, कम शैक्षिक स्तर गरीबी और व्यावसायिक क्रियाकलापों से है जो वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से हानिकारक हैं। अनियमित क्रियाकलापों, जैसे कि खनन, खदान से न केवल पारिस्थितिकी पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि नजदीकी वनों का भी क्षरण होता है और इस प्रकार इनसे वन्यजीव पर्यावासों पर भी असर पड़ता है। क्वार्टजाइट, फेल्डस्पार, ग्रेनाइट, शिस्ट आदि जैसी चट्टानों की उपस्थिति से खनन का दबाव बढ़ जाता है;

और, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य में चेतरा जिला में लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.80 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के सीमा के चारो ओर 1.80 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 570.19 वर्ग किलोमीटर है।

(2) लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रुप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–IIक और उपाबंध–IIख** के रुप में संलग्न है।

(4) लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशंकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) राज्य सरकार, राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए और स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित

क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, (समय समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**वर्णन**
(1)	**(2)**	**(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत

		खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो,

		किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

	ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
20.	फर्मो, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (जैसा अन्यथा रुप से उपबंधित है) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन/ वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का घटक**	**पद**
(1)	कमिश्नर, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग	अध्यक्ष,पदेन;
(2)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(3)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(4)	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामनिर्देशित प्रतिनिधि	सदस्य;
(5)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(6)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा	सदस्य;
(7)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(8)	संबंद्ध प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य;
(9)	प्रभागीय वन अधिकारी, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधनण.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) ऐसे क्रियाकलापों इसके सिवाय भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, पैराग्राफ 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/68/2015-ईएसजेड-आरई]

रवि अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध-I

झारखंड राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी जोन और लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन

उत्तर दिशा से शुरू होने वाली घडी की दिशा में सीमा को चिन्हित किया जाता है, इसके बाद पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में और प्रत्येक दिशा में घड़ी की दिशा में जाता है। राजस्व ग्राम का नाम इटैलिक में है।

उत्तर:- *पोटाम्दोहर* का उत्तर और उत्तरी-पश्चिमी भाग, *मेघरानीया* और *खापिया* उत्तरी-पश्चिमी भाग, *मादरपुर, कसीलाउगा, बेसरा, अमाउना, बरवा (बरमा) कमल, दांरू, बंदीअदीह* और *कोरहांस* का उत्तरी भाग और *कोरहंस* और *लुतु* राजस्व ग्राम।

पूर्व:- *नवाडीह, कदहे, बंदारू, रेजहदीह (अकोना), बरवादीह, अंगरा (कंदरा) चंदनपुर, शिवराजपुर, बंचातरा, चांदादीह, लचाहर* और *गोथइ* का पूर्वी भाग और *हाफुआ* और *तुंदग* राजस्व ग्राम।

दक्षिण:- *कुरूमदारी, बलुभांग, सीरीसामादा* और *चाटुहाउस* का दक्षिणी भाग, *खाइरातंर* का दक्षिणी-पूर्व भाग और *कातांग, हेरहानज* और *लचाक* राजस्व ग्राम ।

पश्चिम:- *दुमरखर* का पश्चिमी भाग, *मूतनग* का दक्षिणी-पश्चिमी भाग, *रानादह* का पश्चिम भाग इसके बाद यह पंकी नदी को पार करके *जसपुर, गोरीहारा, खांखार, बरोदीरी, कोरवातंर, बरकादाहा, गरहगांव, अमबाबर, लुकुवा, बीहारीखाप,* और *पगारकालान* के पश्चिमी भाग में आती है। *पगर, तीलरा, सेरम, बीदरा, नवदीहा, तुंउदग, दुरगी, हींदीदी* और *बांदरहातोली* राजस्व ग्राम।

उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

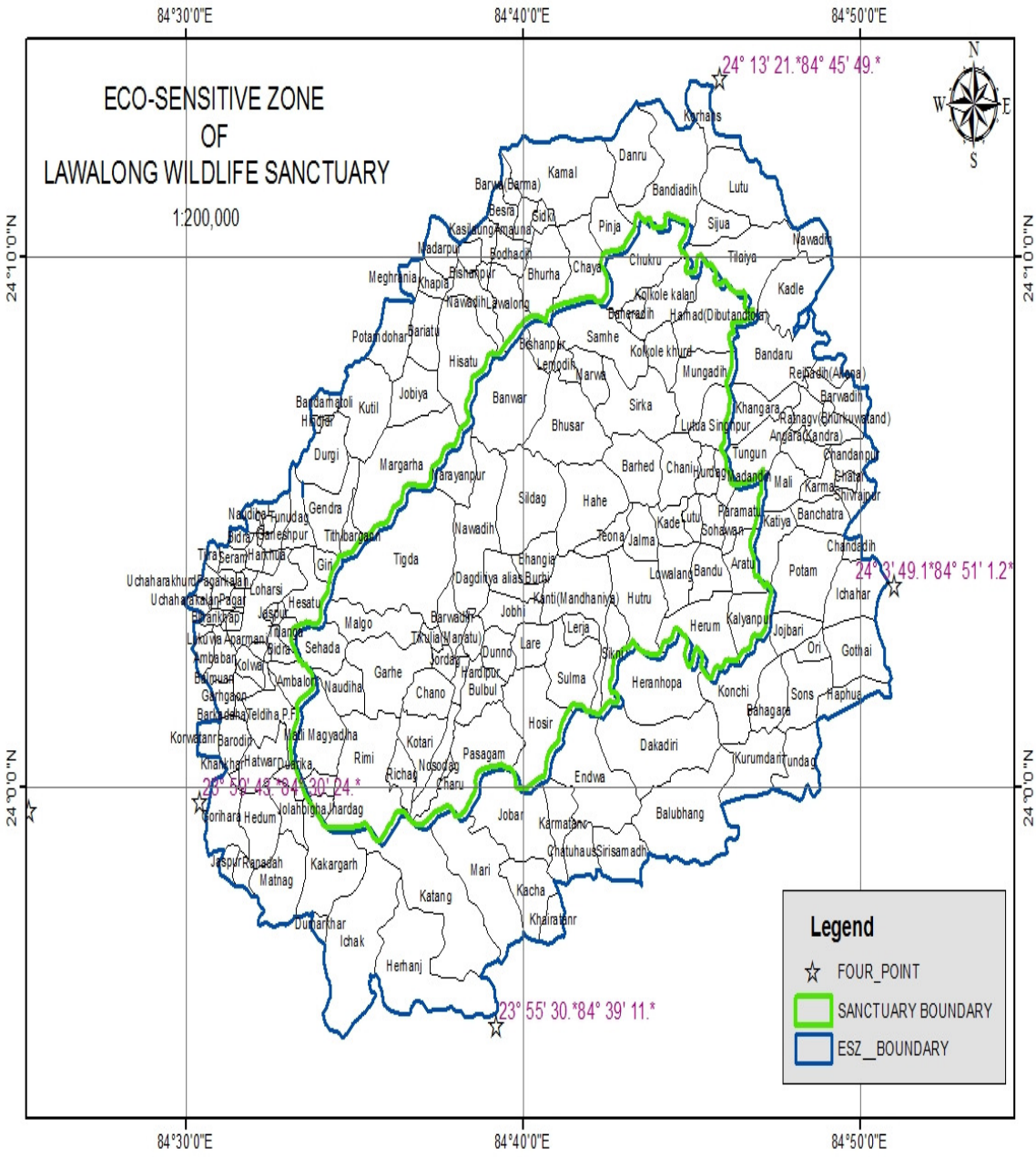

उपाबंध-IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

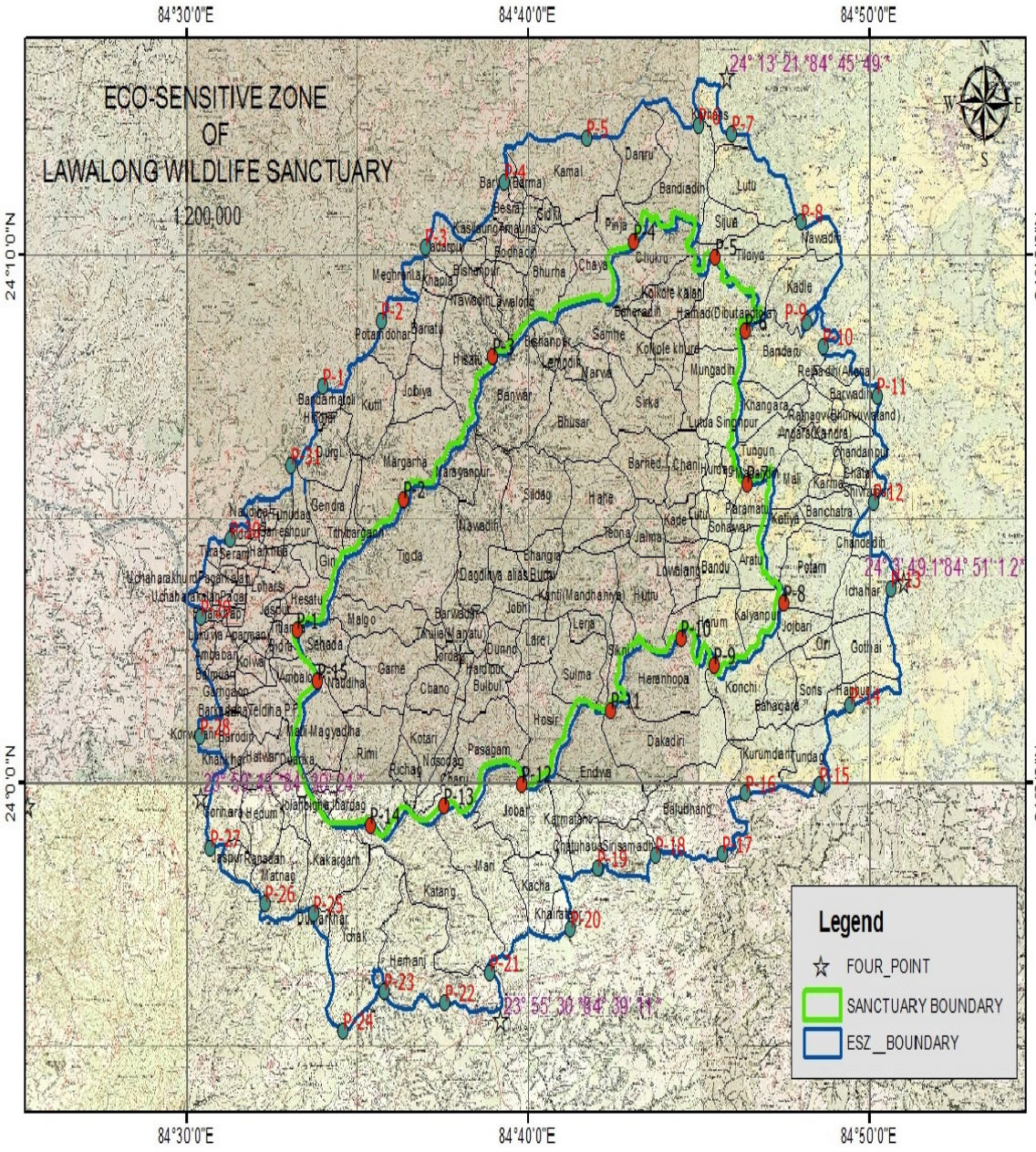

उपाबंध-III

सारणी क: लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश (पू)	देशांतर (पू)
पी-1	84°33'12"	24°2'53"
पी-2	84°36'20"	24°5'22"
पी-3	84°38'57"	24°8'5"
पी-4	84°43'5"	24°10'15"

पी-5	84°45'29"	24°9'58"
पी-6	84°46'21"	24°8'33"
पी-7	84°46'24"	24°5'40"
पी-8	84°47'29"	24°3'24"
पी-9	84°45'26"	24°2'13"
पी-10	84°44'28"	24°2'44"
पी-11	84°42'25"	24°1'22"
पी-12	84°39'48"	23°59'58"
पी-13	84°37'31"	23°59'33"
पी-14	84°35'21"	23°59'11"
पी-15	84°33'49"	23°1'55"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश(पू)	देशांतर (उ)
पी-1	84°33'58"	24°7'30"
पी-2	84°35'41"	24°8'45"
पी-3	84°36'58"	24°10'9"
पी-4	84°39'17"	24°11'23"
पी-5	84°41'42"	24°12'13"
पी-6	84°44'59"	24°12'27"
पी-7	84°45'58"	24°12'18"
पी-8	84°47'60"	24°10'37"
पी-9	84°48'10"	24°8'44"
पी-10	84°48'38"	24°8'16"
पी-11	84°50'13"	24°7'20"
पी-12	84°50'7"	23°5'19"
पी-13	84°50'38"	23°3'40"
पी-14	84°39'26"	23°1'27"
पी-15	84°48'32"	23°59'57"
पी-16	84°46'22"	23°59'47"
पी-17	84°45'41"	23°58'38"
पी-18	84°43'43"	23°58'37"
पी-19	84°42'1"	23°58'22"
पी-20	84°41'14"`	23°57'13"
पी-21	84°38'52"	23°56'23"

पी-22	84°37'33"	23°55'49"
पी-23	84°35'46"	23°56'2"
पी-24	84°34'34"	23°55'17"
पी-25	84°33'41"	23°57'30"
पी-26	84°32'16"	23°57'42"
पी-27	84°30'40"	23°58'45"
पी-28	84°30'22"	23°0'52"
पी-29	84°30'23"	23°3'7"
पी-30	84°31'15"	23°4'36"
पी-31	84°33'2"	23°5'60"

उपाबंध-IV

क. भू-निर्देशांकों के साथ **लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य** के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	घरो की संख्या	जीपीएस निर्देशांक	भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहर/ ग्राम कोड़
1	2	3	4	5	6
1	नावाडीह	चतरा	245	24.1716 उ, 84.8107 पू	348566
2	लुटुआ	चतरा	0	24.1884 उ, 84.7748 पू	348675
3	सिझूआ	चतरा	22	24.1767 उ, 84.7622 पू	348721
4	तिलैया	चतरा	89	24.1662 उ, 84.7775 पू	348722
5	कदले	चतरा	73	24.1561 उ, 84.7998 पू	348723
6	कोरहंस	कुन्दा	121	24.2106 उ, 84.7578 पू	348535
7	दनरू	कुन्दा	94	24.1978 उ, 84.7213 पू	348533

8	बरवा उर्फ बर्मा	कुन्दा	83	24.1893 उ, 84.6597 पू	348522
9	बंदियाडीह	कुन्दा	146	24.1929 उ, 84.7401 पू	348534
10	कमाल	कुन्दा	74	24.1927 उ, 84.6859 पू	348517
11	अमोना	कुन्दा	97	24.1781 उ, 84.6676 पू	348519
12	कासीलौंग	कुन्दा	67	24.1723 उ, 84.6478 पू	348524
13	बोधाडीह	कुन्दा	195	24.1677 उ, 84.6606 पू	348520
14	विशुनपुर	कुन्दा	7	24.1673 उ, 84.6403 पू	348525
15	खपीया	कुन्दा	56	24.1588 उ, 84.6222 पू	348498
16	बेसरा	कुन्दा	142	24.1807 उ, 84.6563 पू	348521
17	पिंजा	कुन्दा	62	24.1759 उ, 84.7101 पू	348532
18	सिदकी	कुन्दा	5	24.1789 उ, 84.6763 पू	348518
19	चाया	कुन्दा	83	24.1631 उ, 84.6963 पू	348531
20	मदारपुर	कुन्दा	93	24.1691 उ, 84.6259 पू	348497

21	भुरहा	कुन्दा	95	24.1615 उ, 84.6773 पू	348530
22	नावाडीह	कुन्दा	88	24.1519 उ, 84.6445 पू	348511
23	मेघरनिया	कुन्दा	14	24.1600 उ, 84.6109 पू	348499
24	बजराही	कुन्दा	16	24.1613 उ, 84.6469 पू	348526
25	लावालौंग	कुन्दा	67	24.1516 उ, 84.6592 पू	348529
26	बरियातु	कुन्दा	69	24.1431 उ, 84.6182 पू	348500
27	हिसातु	कुन्दा	43	24.1355 उ, 84.6364 पू	348527
28	पोटामदोहर	कुन्दा	60	24.1411 उ, 84.6023 पू	348502
29	जोबिया	कुन्दा	53	24.1233 उ, 84.6131 पू	348501
30	कुटिल	कुन्दा	111	24.1195 उ, 84.5887 पू	348504
31	मरगरहा	कुन्दा	147	24.1002 उ, 84.6070 पू	348508
32	दुर्गी	कुन्दा	34	24.1039 उ, 84.5692 पू	348505
33	गेंदरा	कुन्दा	124	24.0874 उ, 84.5713 पू	348506
34	तिथिबरगाँव	कुन्दा	113	24.0788 उ, 84.5815 पू	348507
35	बंदारू	लावालौंग	112	24.1356 उ, 84.7911 पू	348613
36	रेझाडीह उर्फ अकोना	लावालौंग	5	24.1311 उ, 84.8194 पू	348614
37	खानगारा	लावालौंग	37	24.1189 उ, 84.7825 पू	348612
38	रत्नाग उर्फ भुरकुआटांड़	लावालौंग	147	24.1145 उ, 84.8142 पू	348617

39	टुनगुन	लावालौंग	107	24.1059 उ, 84.7830 पू	348618
40	अंगारा उर्फ कंदरा	लावालौंग	44	24.1051 उ, 84.8058 पू	348619
41	करमा	लावालौंग	167	24.0954 उ, 84.8134 पू	348623
42	बनचतरा	लावालौंग	29	24.0856 उ, 84.8148 पू	348622
43	चन्दनपुर	लावालौंग	1	24.1042 उ, 84.8295 पू	348625
44	माली	लावालौंग	45	24.0953 उ, 84.7951 पू	348620
45	शिवराजपुर	लावालौंग	202	24.0919 उ, 84.8319 पू	348626
46	चातर	लावालौंग	8	24.0961 उ, 84.8268 पू	348624
47	चन्दाडीह	लावालौंग	0	24.0749 उ, 84.8294 पू	348633
48	ईचा अहार	लावालौंग	41	24.0616 उ, 84.8302 पू	348635
49	कटिया	लावालौंग	216	24.0774 उ, 84.7897 पू	348621
50	पोटाम	लावालौंग	211	24.0678उ, 84.8064 पू	348634
51	उड़ी	लावालौंग	29	24.0434 उ, 84.8097 पू	348640
52	जोजबारी	लावालौंग	76	24.0492 उ, 84.7994 पू	348636
53	कौंची	लावालौंग	215	24.0297 उ, 84.7725 पू	348638

54	सोन्स	लावालौंग	67	24.0306 उ, 84.8056 पू	348639
55	बाहागार	लावालौंग	52	24.0280 उ, 84.7889 पू	348637
56	सरहाचिया	लावालौंग	30	24.1180 उ, 84.8170 पू	348616
57	बरवाडीह	लावालौंग	77	24.1223 उ, 84.8240 पू	348615
58	गोठाई	सिमरिया	178	24.0427 उ, 84.8312 पू	349308
59	हफुआ	सिमरिया	168	24.0287 उ, 84.8280 पू	349309
60	तुनदाग	सिमरिया	234	24.0077 उ, 84.8035 पू	349307
61	कुरूमदारी	सिमरिया	103	24.0070 उ, 84.7813 पू	349301
62	इन्दवा	बरियातु	100	24.0030 उ, 84.7014 पू	367427
63	हरनहोपा	बरियातु	210	24.0323 उ, 84.7345 पू	367428
64	दाकादिरी	बरियातु	84	24.0130 उ, 84.7335 पू	367429
65	बालुभांग	बरियातु	392	24.9916 उ, 84.7484 पू	367430
66	जौबर	बरियातु	73	24.9907 उ, 84.6622 पू	367424
67	करमाटांड	बरियातु	14	24.9882 उ, 84.6846 पू	367425
68	सिरीसम्ध	बरियातु	71	24.9794 उ, 84.7146 पू	367426

69	माड़ी	हेरहंज	110	24.9720 उ, 84.6460 पू	367493
70	कटांग	हेरहंज	110	24.9653 उ, 84.6237 पू	367480
71	चातुहौस	हेरहंज	9	24.9795 उ, 84.6951 पू	367494
72	ईचाक	हेरहंज	103	24.9512 उ, 84.5848 पू	367481
73	काचा	हेरहंज	53	24.9672 उ, 84.6700 पू	367492
74	खैराटांड़	हेरहंज	47	24.9580 उ, 84.6814 पू	367489
75	हंरहेंज	हेरहंज	320	24.9434 उ, 84.6179 पू	367482
76	तुनुदाग	पाँकी	94	24.0847 उ, 84.5549 पू	366412
77	गणेशपुर	पाँकी	120	24.0831 उ, 84.5453 पू	366410
78	नौवडीहा	पाँकी	355	24.0855 उ, 84.5339 पू	366406
79	बहेरवाटांड़	पाँकी	58	24.0845 उ, 84.5363 पू	366407
80	बिर्तिया	पाँकी	5	24.0810 उ, 84.5369 पू	366409
81	बिद्रा	पाँकी	127	24.0782 उ, 84.5265 पू	366382
82	परदोहर	पाँकी	21	24.0782 उ, 84.5364 पू	366405
83	सिरमा	पाँकी	137	24.0717 उ, 84.5227 पू	366402
84	पिपराटांड़	पाँकी	48	24.0708 उ, 84.5422 पू	366411
85	बनियाडीह	पाँकी	24	24.0825 उ, 84.5411 पू	366408
86	हरखुआ	पाँकी	150	24.0727 उ, 84.5340 पू	366404
87	तिलरा	पाँकी	0	24.0726 उ, 84.5134 पू	366401
88	हेसातु	पाँकी	141	24.0612 उ, 84.5602 पू	366414

89	गिरी	पाँकी	36	24.0697 उ, 84.5694 पू	366413
90	लोहरसी	पाँकी	649	240581 उ, 84.5396 पू	366419
91	पागरकलान	पाँकी	0	24.0632 उ, 84.5152 पू	366397
92	गुड़िपहाड़ी	पाँकी	26	24.0661 उ, 84.5312 पू	366403
93	उड़ीह	पाँकी	108	24.0647 उ, 84.5267 पू	366399
94	उचाआहर खुर्द	पाँकी	87	24.0615 उ, 84.5088 पू	366396
95	तिलमबा	पाँकी	10	24.0550 उ, 84.5417 पू	366418
96	पचम्बा	पाँकी	65	24.0664 उ, 84.5210 पू	366400
97	उचाआहरर कलां	पाँकी	26	24.0574 उ, 84.5055 पू	366395
98	जसपुर उर्फ चेरीवार	पाँकी	22	24.0544 उ, 84.5461 पू	366371
99	बिहारीखाप	पाँकी	66	24.0536 उ, 84.5155 पू	366394
100	सरजामातु	पाँकी	169	24.0521 उ, 84.5236 पू	366393
101	तिल्लांगी	पाँकी	300	24.0482 उ, 84.5510 पू	366415
102	गरेरियाडीह	पाँकी	0	24.0507 उ, 84.5184 पू	366392

103	बिंद्रा	पाँकी	105	24.0437 उ, 84.5463 पू	366416
104	लुकुवा	पाँकी	159	24.0423 उ, 84.5090 पू	366390
105	अपरमंडी	पाँकी	193	24.0432 उ, 84.5359 पू	366420
106	केलवा	पाँकी	280	24.0380 उ, 84.5314 पू	366423
107	गढ़गाँव	पाँकी	196	24.0281 उ, 85.188 पू	366425
108	करमा	पाँकी	9	24.0494 उ, 84.5075 पू	366389
109	अम्बाबार	पाँकी	286	24.0404 उ, 84.5175 पू	366391
110	अम्बालोरी	पाँकी	24	24.0330 उ, 84.5537 पू	366421
111	तेलडीहा	पाँकी	0	24.0342 उ, 84.5402 पू	366422
112	बलमुवान	पाँकी	207	24.0315 उ, 84.5290 पू	366424
113	बरकादाहा	पाँकी	22	24.0242 उ, 84.5268 पू	366426
114	बारोदिरी	पाँकी	217	24.0143 उ, 84.5231 पू	366427
115	कोरवाटांड़	पाँकी	11	24.0152 उ, 84.5111 पू	366340

116	हटवार	पाँकी	268	24.0080 उ, 84.5379 पू	366429
117	दुवारिका	पाँकी	193	24.0020 उ, 84.5526 पू	366376
118	खनखार	पाँकी	10	24.0030 उ, 84.5242 पू	366428
119	गोरीहारा	पाँकी	108	24.9905 उ, 84.5191 पू	366370
120	रानादाहा	पाँकी	2	24.9732 उ, 84.5281 पू	366372
121	जोल्बीघा	पाँकी	124	24.9930 उ, 84.5503 पू	366375
122	हेरूम	पाँकी	134	24.9880 उ, 84.5366 पू	366373
123	काकरगढ़	पाँकी	280	24.9755 उ, 84.5701 पू	366377
124	मतनाग	पाँकी	63	24.9703 उ, 84.5467 पू	366374
125	जसपुर	पाँकी	118	24.9763 उ, 84.5211 पू	366417
126	डुपूरखार	पाँकी	0	24.9561 उ, 84.5661 पू	366378

सारणी ख. भू-निर्देशांक के साथ संलग्न ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	घरो की संख्या	जीपीएस निर्देशांक	भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहर/ ग्राम कोड़
1	2	3	4	5	6
1	चुकरू	लावालौंग	217	24.1654 उ, 84.7272 पू	348547
2	कोलकोले काला	लावालौंग	293	24.1534 उ, 84.7371 पू	348549
3	हरहद	लावालौंग	70	24.1479 उ, 84.7600 पू	348550
4	विशुनपुर	लावालौंग	54	24.1392 उ, 84.6764 पू	348554
5	समहे	लावालौंग	71	24.1411 उ, 84.7059 पू	348553
6	कोलकोले खुर्द	लावालौंग	23	24.1365 उ, 84.7359 पू	348552
7	बनवार	लावालौंग	161	24.1219 उ, 84.6599 पू	348559
8	मुनगाडीह	लावालौंग	3	24.1270 उ, 84.7538 पू	348551
9	सेरका	लावालौंग	54	24.1201 उ, 84.7229 पू	348557
10	भुसार	लावालौंग	124	24.1133 उ,	348558

				84.6887 पू	
11	नारायणपुर	लावालौंग	32	24.0988 उ, 84.6347 पू	348567
12	बरदेह	लावालौंग	77	24.1008 उ, 84.7226 पू	348607
13	चानी	लावालौंग	100	24.1002 उ, 84.7433 पू	348608
14	नावाडीह	लावालौंग	245	24.0807 उ, 84.6439 पू	348566
15	सिलदाग	लावालौंग	286	24.0903 उ, 84.6691 पू	348560
16	हाहे	लावालौंग	112	24.0892 उ, 84.6988 पू	348561
17	पारामातु	लावालौंग	178	24.0863 उ, 84.7755 पू	348601
18	सोहावन	लावालौंग	47	24.0837 उ, 84.7602 पू	348602
19	टिकदा	लावालौंग	178	24.0713 उ, 84.6081 पू	348568
20	जलमा	लावालौंग	66	24.0793 उ, 84.7251 पू	348606
21	आराआतु	लावालौंग	80	24.0701 उ, 84.7762 पू	348599
22	बान्दु	लावालौंग	256	24.0671 उ,	348600

				84.7582 पू	
23	हुटरू	लावालौंग	242	24.0588 उ, 84.7237 पू	348596
24	दागदीरिया उर्फ वुरही	लावालौंग	1	24.0657 उ, 84.6594 पू	348565
25	कांती उर्फ मंधनिया	लावालौंग	335	24.0588 उ, 84.6951 पू	348563
26	बरवाडीह	लावालौंग	46	24.0530 उ, 84.6308 पू	348569
27	कल्याणपुर	लावालौंग	120	24.0525 उ, 84.7788 पू	348598
28	हेरम	लावालौंग	392	24.0485 उ, 84.7558 पू	348597
29	मालगो	लावालौंग	72	24.0517 उ, 84.5931 पू	348575
30	मनातु उर्फ टिकुलिया	लावालौंग	118	24.0497 उ, 84.6943 पू	348588
31	लोरजा	लावालौंग	20	24.0367 उ, 84.6908 पू	348594
32	सुलमा	लावालौंग	110	24.0438 उ, 84.5673 पू	348593
33	सेहदा	लावालौंग	160	24.0422 उ, 84.6545 पू	348576
34	दुनो	लावालौंग	36	24.0078 उ,	348591

				84.6425 पू	
35	पसागम	लावालौंग	106	24.0367 उ, 84.5996 पू	348586
36	गरहे	लावालौंग	103	24.0397 उ, 84.6291 पू	348574
37	जोरदाग	लावालौंग	18	24.0302 उ, 84.6446 पू	348571
38	बुलबुल	लावालौंग	28	24.0343 उ, 84.6353 पू	348587
39	हरदीपुर	लावालौंग	7	24.0310 उ, 84.5779 पू	348572
40	नवडीहा	लावालौंग	11	24.0197 उ, 84.6723 पू	348577
41	होसीर	लावालौंग	173	24.0290 उ, 84.6200 पू	348592
42	चानो	लावालौंग	19	24.0671 उ, 84.5650 पू	348573
43	मतली मंझडीहा उर्फ मंझडीह	लावालौंग	129	24.0159 उ, 84.5659 पू	348578
44	नासोदाग	लावालौंग	3	24.0064 उ, 84.6237 पू	348584
45	कोटारी	लावालौंग	46	24.0137 उ, 84.6162 पू	348582
46	रीमी	लावालौंग	205	24.0029 उ,	348581

				84.5893 पू	
47	चारू	लावालौंग	1	24.0063 उ, 84.6297 पू	348585
48	विश्रामापुर उर्फ रामपुर	लावालौंग	130	24.0009 उ, 84.5662 पू	348579
49	झरदाग	लावालौंग	64	24.9945 उ, 84.5676 पू	348580
50	बहेराडीह	लावालौंग	6	24.1496 उ, 84.7199 पू	348548
51	लेम्बोडीह	लावालौंग	31	24.1324 उ, 84.6876 पू	348555
52	मड़वा	लावालौंग	101	24.1293 उ, 84.7001 पू	348556
53	लुटु या लुटुवा	लावालौंग	44	24.1158 उ, 84.7615 पू	348603
54	मदनडीह	लावालौंग	137	24.10972 उ, 84.7659 पू	348610
55	हुड़दाग	लावालौंग	14	24.0987 उ, 84.7576 पू	348609
56	कदहे	लावालौंग	43	24.0825 उ, 84.7399 पू	348605
57	टेवना	लावालौंग	45	24.0785 उ, 84.7083 पू	348562
58	भंगिया	लावालौंग	1	24.0717 उ,	348564

				84.6737 पू	
59	लावालौंग	लावालौंग	413	24.0669 उ, 84.7423 पू	348604
60	जोभी	लावालौंग	49	24.0549 उ, 84.6598 पू	348589
61	कटिया माचा महुआ	लावालौंग	0	24.0470 उ, 84.6228 पू	348570
62	सिकनी	लावालौंग	135	24.0408 उ, 84.7112 पू	348595
63	लारे	लावालौंग	6	24.0449 उ, 84.6709 पू	348590
64	रेचाग	लावालौंग	3	24.0037 उ, 84.6069 पू	348583

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2896(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 775(E), dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 21st February, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, Lawalong Wildlife Sanctuary lies between $23^0$56' to $24^0$13' North latitudes and $84^0$31' to $84^0$50' East longitudes in Chatra District of Jharkhand. The Sanctuary was notified under section 18 of Wildlife (Protection) Act, 1972 by Bihar Government *vide* its Notification no. S.O. 49/78/33-F, dated the 15th July,1978. It extends over an area of 211.03 square kilometers of Reserved Forests;

AND WHEREAS, Lawalong Wildlife Sanctuary is located in the Deccan Plateau Province of Chotanagpur Plateau (SD) Bio-geographic Zone. The area is the habitat of leopards, wolves, cheetals, wild boars, sloth bears, jackals, porcupines, hyaenas, hares, pangoline, etc. Movement of elephants from Palamu and Chatra are observed through this Sanctuary. The important bird species spotted frequently in the Sanctuary are serpent eagle, paradise fly-catcher, kingfisher, bee-eater, swift, different types of babbler, black drongo, wood pecker, lapwing, peafowl, pond heron, egret, etc. The forests of the Sanctuary also act as corridor connecting between forests of Palamau, Lawalong and Hazaribag for movement of elephant;

AND WHEREAS, Lawalong Wildlife Sanctuary lies in the catchments of Amanat, Chako and Nilanjan river systems. Important perennial and seasonal nalas are Dudhmatia nala, Mangardaha nala, Sukni nala, Sonahi nala etc. The forests of this protected area intercept rainfall and help recharge ground water aquifers and also protect rivers and streams against silting by minimizing soil erosion. The protected area is home to diverse types of forests, *viz.,* 5B/C1 - Northern Tropical Dry Peninsular Sal Forest, 5B/C2 Northern Tropical Dry Mixed Deciduous Forest, 5/DS Dry Deciduous Scrub Forest, (5/E2) Boswellia Forest and Dry Bamboo brakes as per Champion and Seth's classification. The forests of this Sanctuary are an excellent habitat for significant populations of 11 species of mammals, more than 35 species of birds and 19 species of reptiles;

AND WHEREAS, the most important threats to this protected area emanate from the increasing population, low educational levels, poverty and commercial activities detrimental to the conservation of wildlife and other natural resources. Unregulated activities, such as mining, quarrying, etc. not only have a direct adverse impact on the ecology but also cause degradation of neighboring forests, and thus the wildlife habitats. The presence of rocks like quartzite, feldspar, granite, schist, etc. adds to the pressure of mining;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Lawalong Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.80 kilometers to 5 kilometers around the boundary of Lawalong Wildlife Sanctuary, in Chatra district in the State of Jharkhand as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1.80 kilometers to 5 kilometers around the boundary of Lawalong Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 570.19 square kilometres.

   (2) The boundary description of Lawalong Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Lawalong Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA and Annexure-II B.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Lawalong Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Jharkhand State Pollution Control Board;
(xi) Panchayati Raj; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per and applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per and applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	The Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribag	Chairman, ex officio;
(2)	Representative of State Pollution Control Board	Member;
(3)	A representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(4)	A representative nominated by the Forest and Environment Department of Jharkhand	Member;
(5)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(6)	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
(7)	Representative of State Pollution Control Board	Member;
(8)	Concerned territorial Divisional Forest Officer	Member;
(9)	The Divisional Forest Officer, Incharge of Lawalong Wildlife Sanctuary	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/68/2015-ESZ-RE]

RAVI AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE JHARKHAND

Boundary is marked in clockwise direction begin from the North Side, followed by East, South and West and in each side of the direction is also taken in clockwise direction. Revenue village name is in Italic.

North: - North and Northern-West part of *Potamdohar*, Northern-West part of *Meghrania* and *Khapia*, Northern part of *Madarpur*, *Kasilaung*, *Besra*, *Amauna*, *Barwa* (*Barma*) *Kamal*, *Danru*, *Bandiadih* and *Korhans* and Northern -East part of *Lutu* Revenue Villages.

East:- Eastern part of *Nawadih*, *Kadle*, *Bandaru*, *Rejhdih (Akona), Barwadih, Angara (Kandra), Chandanpur, Shivrajpur, Banchatra, Chandadih, Ichahar* and *Gothai* and Southern and Eastern part of *Haphua* and *Tundag* Revenue Villages.

South: - Southern part of *Kurumdari*, *Balubhang, Sirisamadh* and *Chatuhaus*, South and Southern-East part of *Khairatanr* and Southern part of *Katang*, *Herhanj* and *Ichak* Revenue Villages.

West: - Western part of *Dumarkhar*, Southern-West part of *Mutnag*, Western part of *Ranadah* then after it crosses the Panki river and enter into Western part of *Jaspur, Gorihara, Khankhar, Barodiri, Korwatanr, Barkadaha, Garhgaon, Ambabar, Lukuwa, Biharikhap,* and *Pagarkalan*, Western and Northern-West part of *Pagar, tilra, Seram, Bidra, Nawdiha, Tunudag, Durgi, Hindidi* and *Bandarhatoli* Revenue Villages.

ANNEXURE-IIA

MAP OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

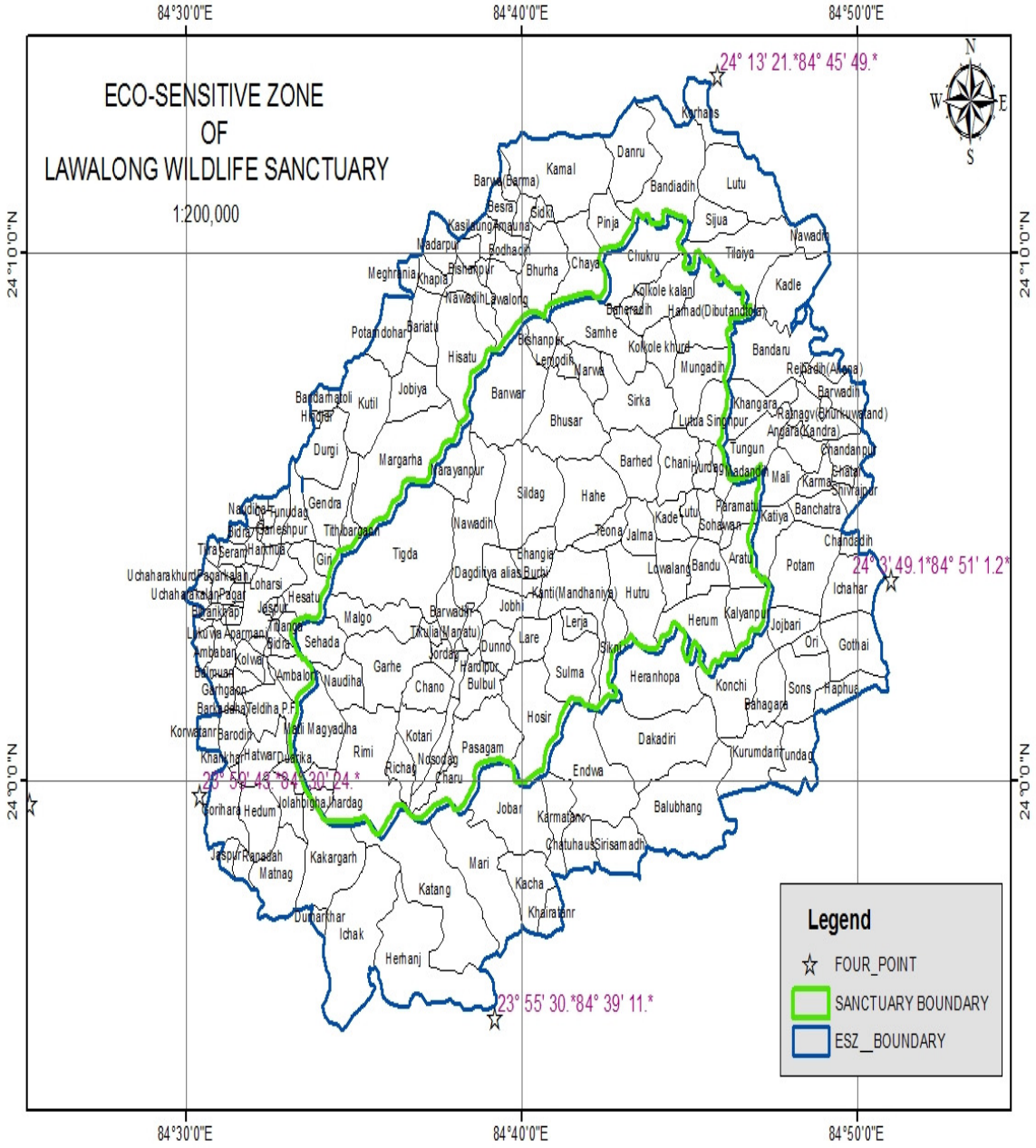

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

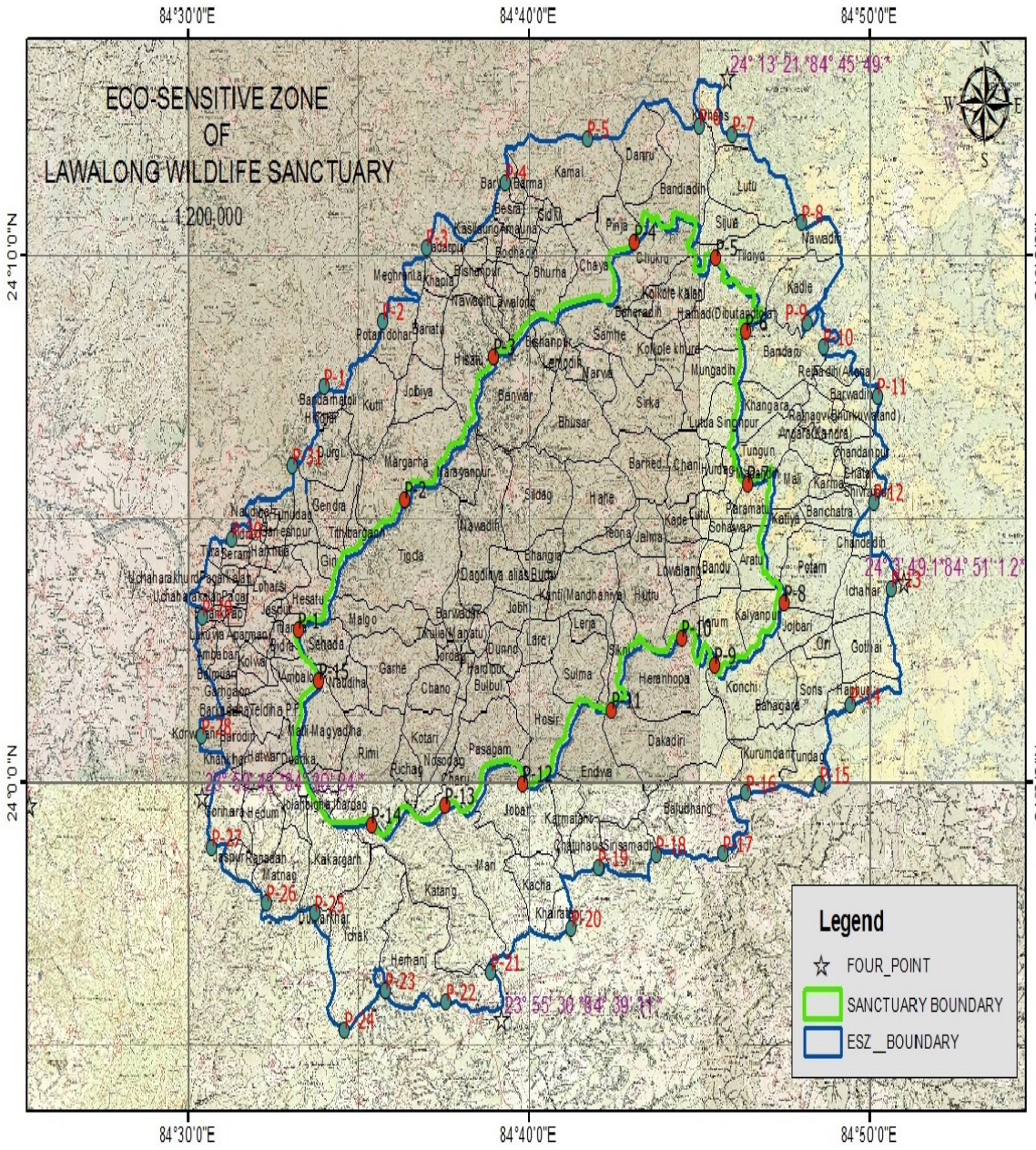

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY

Points	Latitude (E)	Longitude (N)
P-1	84°33'12"	24°2'53"
P-2	84°36'20"	24°5'22"
P-3	84°38'57"	24°8'5"

P-4	84º43'5"	24º10'15"
P-5	84º45'29"	24º9'58"
P-6	84º46'21"	24º8'33"
P-7	84º46'24"	24º5'40"
P-8	84º47'29"	24º3'24"
P-9	84º45'26"	24º2'13"
P-10	84º44'28"	24º2'44"
P-11	84º42'25"	24º1'22"
P-12	84º39'48"	23º59'58"
P-13	84º37'31"	23º59'33"
P-14	84º35'21"	23º59'11"
P-15	84º33'49"	23º1'55"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Points	Latitude (E)	Longitude (N)
P-1	84º33'58"	24º7'30"
P-2	84º35'41"	24º8'45"
P-3	84º36'58"	24º10'9"
P-4	84º39'17"	24º11'23"
P-5	84º41'42"	24º12'13"
P-6	84º44'59"	24º12'27"
P-7	84º45'58"	24º12'18"
P-8	84º47'60"	24º10'37"
P-9	84º48'10"	24º8'44"
P-10	84º48'38"	24º8'16"
P-11	84º50'13"	24º7'20"
P-12	84º50'7"	23º5'19"
P-13	84º50'38"	23º3'40"
P-14	84º39'26"	23º1'27"
P-15	84º48'32"	23º59'57"
P-16	84º46'22"	23º59'47"
P-17	84º45'41"	23º58'38"
P-18	84º43'43"	23º58'37"
P-19	84º42'1"	23º58'22"
P-20	84º41'14’’`	23º57'13"

P-21	84°38'52"	23°56'23"
P-22	84°37'33"	23°55'49"
P-23	84°35'46"	23°56'2"
P-24	84°34'34"	23°55'17"
P-25	84°33'41"	23°57'30"
P-26	84°32'16"	23°57'42"
P-27	84°30'40"	23°58'45"
P-28	84°30'22"	23°0'52"
P-29	84°30'23"	23°3'7"
P-30	84°31'15"	23°4'36"
P-31	84°33'2"	23°5'60"

ANNEXURE-IV

A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF LAWALONG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	Name of Village	Admm. Block	House Hold	GPS Co-Ordinates	Town/ Village code as per Census of India, 2011
1	2	3	4	5	6
1	Nawadih	Chatra	245	24.1716 N, 84.8107 E	348566
2	Lutua	Chatra	0	24.1884 N, 84.7748 E	348675
3	Sijua	Chatra	22	24.1767 N, 84.7622 E	348721
4	Tilaia	Chatra	89	24.1662 N, 84.7775 E	348722
5	Kadle	Chatra	73	24.1561 N, 84.7998 E	348723
6	Korhans	Kunda	121	24.2106 N, 84.7578 E	348535
7	Danru	Kunda	94	24.1978 N, 84.7213 E	348533
8	Barwa alias Barma	Kunda	83	24.1893 N, 84.6597 E	348522
9	Bandiadih	Kunda	146	24.1929 N, 84.7401 E	348534
10	Kamal	Kunda	74	24.1927 N, 84.6859 E	348517
11	Amauna	Kunda	97	24.1781 N, 84.6676 E	348519
12	Kasilaung	Kunda	67	24.1723 N, 84.6478 E	348524
13	Bodhadih	Kunda	195	24.1677 N, 84.6606 E	348520
14	Bishunpur	Kunda	7	24.1673 N, 84.6403 E	348525
15	Khapia	Kunda	56	24.1588 N, 84.6222 E	348498
16	Besra	Kunda	142	24.1807 N, 84.6563 E	348521
17	Pinja	Kunda	62	24.1759 N, 84.7101 E	348532
18	Sidki	Kunda	5	24.1789 N, 84.6763 E	348518
19	Chaya	Kunda	83	24.1631 N, 84.6963 E	348531

20	Madarpur	Kunda	93	24.1691 N, 84.6259 E	348497
21	Bhurha	Kunda	95	24.1615 N, 84.6773 E	348530
22	Nawadih	Kunda	88	24.1519 N, 84.6445 E	348511
23	Meghrania	Kunda	14	24.1600 N, 84.6109 E	348499
24	Bajrahi	Kunda	16	24.1613 N, 84.6469 E	348526
25	Lawalong	Kunda	67	24.1516 N, 84.6592 E	348529
26	Bariatu	Kunda	69	24.1431 N, 84.6182 E	348500
27	Hisatu	Kunda	43	24.1355 N, 84.6364 E	348527
28	Potamdohar	Kunda	60	24.1411 N, 84.6023 E	348502
29	Jobeya	Kunda	53	24.1233 N, 84.6131 E	348501
30	Kutil	Kunda	111	24.1195 N, 84.5887 E	348504
31	Margarha	Kunda	147	24.1002 N, 84.6070 E	348508
32	Durgi	Kunda	34	24.1039 N, 84.5692 E	348505
33	Gendra	Kunda	124	24.0874 N, 84.5713 E	348506
34	Tithibhargaon	Kunda	113	24.0788 N, 84.5815 E	348507
35	Bandaru	Lawalong	112	24.1356 N, 84.7911 E	348613
36	Rejadih alias Akona	Lawalong	5	24.1311 N, 84.8194 E	348614
37	Khangara	Lawalong	37	24.1189 N, 84.7825 E	348612
38	Ratnag alias Bhurkuatanr	Lawalong	147	24.1145 N, 84.8142 E	348617
39	Tungun	Lawalong	107	24.1059 N, 84.7830 E	348618
40	Angara alias Kandra	Lawalong	44	24.1051 N, 84.8058 E	348619
41	Karma	Lawalong	167	24.0954 N, 84.8134 E	348623
42	Banchatra	Lawalong	29	24.0856 N, 84.8148 E	348622
43	Chandanpur	Lawalong	1	24.1042 N, 84.8295 E	348625
44	Mali	Lawalong	45	24.0953 N, 84.7951 E	348620
45	Shivrajpur	Lawalong	202	24.0919 N, 84.8319 E	348626
46	Chatar	Lawalong	8	24.0961 N, 84.8268 E	348624
47	Chandadih	Lawalong	0	24.0749 N, 84.8294 E	348633
48	Icha Ahar	Lawalong	41	24.0616 N, 84.8302 E	348635
49	Katia	Lawalong	216	24.0774 N, 84.7897 E	348621
50	Potam	Lawalong	211	24.0678N, 84.8064 E	348634
51	Ori	Lawalong	29	24.0434 N, 84.8097 E	348640
52	Jojbari	Lawalong	76	24.0492 N, 84.7994 E	348636
53	Konchi	Lawalong	215	24.0297 N, 84.7725 E	348638
54	Sons	Lawalong	67	24.0306 N, 84.8056 E	348639
55	Bahagara	Lawalong	52	24.0280 N, 84.7889 E	348637
56	Sarhachia	Lawalong	30	24.1180 N, 84.8170 E	348616
57	Barwadih	Lawalong	77	24.1223 N, 84.8240 E	348615
58	Gothai	Simaria	178	24.0427 N, 84.8312 E	349308

59	Haphua	Simaria	168	24.0287 N, 84.8280 E	349309
60	Tundag	Simaria	234	24.0077 N, 84.8035 E	349307
61	Kurumdari	Simaria	103	24.0070 N, 84.7813 E	349301
62	Endwa	Bariatu	100	24.0030 N, 84.7014 E	367427
63	Harauhopa	Bariatu	210	24.0323 N, 84.7345 E	367428
64	Dakadiri	Bariatu	84	24.0130 N, 84.7335 E	367429
65	Balu Bhang	Bariatu	392	24.9916 N, 84.7484 E	367430
66	Jaubar	Bariatu	73	24.9907 N, 84.6622 E	367424
67	Karmatanr	Bariatu	14	24.9882 N, 84.6846 E	367425
68	Sirismadh	Bariatu	71	24.9794 N, 84.7146 E	367426
69	Mari	Herhanj	110	24.9720 N, 84.6460 E	367493
70	Katang	Herhanj	110	24.9653 N, 84.6237 E	367480
71	Chatuhaus	Herhanj	9	24.9795 N, 84.6951 E	367494
72	Ichak	Herhanj	103	24.9512 N, 84.5848 E	367481
73	Kacha	Herhanj	53	24.9672 N, 84.6700 E	367492
74	Khairatanr	Herhanj	47	24.9580 N, 84.6814 E	367489
75	Harhenj	Herhanj	320	24.9434 N, 84.6179 E	367482
76	Tunudag	Panki	94	24.0847 N, 84.5549 E	366412
77	Ganeshpur	Panki	120	24.0831 N, 84.5453 E	366410
78	Naudiha	Panki	355	24.0855 N, 84.5339 E	366406
79	Baherwatanr	Panki	58	24.0845 N, 84.5363 E	366407
80	Birtia	Panki	5	24.0810 N, 84.5369 E	366409
81	Bidra	Panki	127	24.0782 N, 84.5265 E	366382
82	Pardohar	Panki	21	24.0782 N, 84.5364 E	366405
83	Sirma	Panki	137	24.0717 N, 84.5227 E	366402
84	Pipratanr	Panki	48	24.0708 N, 84.5422 E	366411
85	Baniadih	Panki	24	24.0825 N, 84.5411 E	366408
86	Harkhuwa	Panki	150	24.0727 N, 84.5340 E	366404
87	Tilra	Panki	0	24.0726 N, 84.5134 E	366401
88	Hesatu	Panki	141	24.0612 N, 84.5602 E	366414
89	Giri	Panki	36	24.0697 N, 84.5694 E	366413
90	Loharsi	Panki	649	240581 N, 84.5396 E	366419
91	Pagar Kalan	Panki	0	24.0632 N, 84.5152 E	366397
92	Gudipahari	Panki	26	24.0661 N, 84.5312 E	366403
93	Udih	Panki	108	24.0647 N, 84.5267 E	366399
94	Uchahra Khurd	Panki	87	24.0615 N, 84.5088 E	366396
95	Tilamba	Panki	10	24.0550 N, 84.5417 E	366418
96	Pachamba	Panki	65	24.0664 N, 84.5210 E	366400
97	Uchahra Kalan	Panki	26	24.0574 N, 84.5055 E	366395

98	Jaspur Alias Cheribar	Panki	22	24.0544 N, 84.5461 E	366371
99	Bihari Khap	Panki	66	24.0536 N, 84.5155 E	366394
100	Sarjamatu	Panki	169	24.0521 N, 84.5236 E	366393
101	Titlangi	Panki	300	24.0482 N, 84.5510 E	366415
102	Gareriadih	Panki	0	24.0507 N, 84.5184 E	366392
103	Bidra	Panki	105	24.0437 N, 84.5463 E	366416
104	Lukuwa	Panki	159	24.0423 N, 84.5090 E	366390
105	Aparmanri	Panki	193	24.0432 N, 84.5359 E	366420
106	Kelwa	Panki	280	24.0380 N, 84.5314 E	366423
107	Garhganw	Panki	196	24.0281 N, 85.188 E	366425
108	Karma	Panki	9	24.0494 N, 84.5075 E	366389
109	Ambabar	Panki	286	24.0404 N, 84.5175 E	366391
110	Ambalori	Panki	24	24.0330 N, 84.5537 E	366421
111	Teldiha	Panki	0	24.0342 N, 84.5402 E	366422
112	Balmuwan	Panki	207	24.0315 N, 84.5290 E	366424
113	Barkadaha	Panki	22	24.0242 N, 84.5268 E	366426
114	Barodiri	Panki	217	24.0143 N, 84.5231 E	366427
115	Korwatanr	Panki	11	24.0152 N, 84.5111 E	366340
116	Hatwar	Panki	268	24.0080 N, 84.5379 E	366429
117	Duwarika	Panki	193	24.0020 N, 84.5526 E	366376
118	Khankhar	Panki	10	24.0030 N, 84.5242 E	366428
119	Gorihara	Panki	108	24.9905 N, 84.5191 E	366370
120	Ranadah	Panki	2	24.9732 N, 84.5281 E	366372
121	Jolah Bigha	Panki	124	24.9930 N, 84.5503 E	366375
122	Herum	Panki	134	24.9880 N, 84.5366 E	366373
123	Kakargarh	Panki	280	24.9755 N, 84.5701 E	366377
124	Matnag	Panki	63	24.9703 N, 84.5467 E	366374
125	Jaspur	Panki	118	24.9763 N, 84.5211 E	366417
126	Dumar Khar	Panki	0	24.9561 N, 84.5661 E	366378

B. LIST OF ENCLAVE VILLAGES ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	Name of Village	Admm. Block	House Hold	GPS Co-Ordinates	Town/ Village code as per Census of India, 2011
1	2	3	4	5	6
1	Chukru	Lawalong	217	24.1654 N, 84.7272 E	348547
2	Kolkole Kalan	Lawalong	293	24.1534 N, 84.7371 E	348549
3	Harhad	Lawalong	70	24.1479 N, 84.7600 E	348550
4	Bishunpur	Lawalong	54	24.1392 N, 84.6764 E	348554
5	Samhe	Lawalong	71	24.1411 N, 84.7059 E	348553

6	Kolkole Khurd	Lawalong	23	24.1365 N, 84.7359 E	348552
7	Banwar	Lawalong	161	24.1219 N, 84.6599 E	348559
8	Mungadih	Lawalong	3	24.1270 N, 84.7538 E	348551
9	Sirka	Lawalong	54	24.1201 N, 84.7229 E	348557
10	Bhusar	Lawalong	124	24.1133 N, 84.6887 E	348558
11	Narainpur	Lawalong	32	24.0988 N, 84.6347 E	348567
12	Barhed	Lawalong	77	24.1008 N, 84.7226 E	348607
13	Chani	Lawalong	100	24.1002 N, 84.7433 E	348608
14	Nawadih	Lawalong	245	24.0807 N, 84.6439 E	348566
15	Sildag	Lawalong	286	24.0903 N, 84.6691 E	348560
16	Hahey	Lawalong	112	24.0892 N, 84.6988 E	348561
17	Paramatu	Lawalong	178	24.0863 N, 84.7755 E	348601
18	Sohawan	Lawalong	47	24.0837 N, 84.7602 E	348602
19	Tikda	Lawalong	178	24.0713 N, 84.6081 E	348568
20	Jalma	Lawalong	66	24.0793 N, 84.7251 E	348606
21	Ara-Atu	Lawalong	80	24.0701 N, 84.7762 E	348599
22	Bandu	Lawalong	256	24.0671 N, 84.7582 E	348600
23	Hutru	Lawalong	242	24.0588 N, 84.7237 E	348596
24	Dagderia Alias Burhi	Lawalong	1	24.0657 N, 84.6594 E	348565
25	Kanti Alias Mandhania	Lawalong	335	24.0588 N, 84.6951 E	348563
26	Barwadih	Lawalong	46	24.0530 N, 84.6308 E	348569
27	Kalyanpur	Lawalong	120	24.0525 N, 84.7788 E	348598
28	Herum	Lawalong	392	24.0485 N, 84.7558 E	348597
29	Malgo	Lawalong	72	24.0517 N, 84.5931 E	348575
30	Tikulia Alias Manatu	Lawalong	118	24.0497 N, 84.6943 E	348588
31	Lorja	Lawalong	20	24.0367 N, 84.6908 E	348594
32	Sulma	Lawalong	110	24.0438 N, 84.5673 E	348593
33	Saheda	Lawalong	160	24.0422 N, 84.6545 E	348576
34	Dunho	Lawalong	36	24.0078 N, 84.6425 E	348591
35	Pasagam	Lawalong	106	24.0367 N, 84.5996 E	348586
36	Garhey	Lawalong	103	24.0397 N, 84.6291 E	348574
37	Jordag	Lawalong	18	24.0302 N, 84.6446 E	348571
38	Bulbul	Lawalong	28	24.0343 N, 84.6353 E	348587
39	Hardipur	Lawalong	7	24.0310 N, 84.5779 E	348572
40	Naudiha	Lawalong	11	24.0197 N, 84.6723 E	348577
41	Hosir	Lawalong	173	24.0290 N, 84.6200 E	348592
42	Chano	Lawalong	19	24.0671 N, 84.5650 E	348573
43	Matli Majhdiha Alias Majhdih	Lawalong	129	24.0159 N, 84.5659 E	348578
44	Nasodag	Lawalong	3	24.0064 N, 84.6237 E	348584

45	Kutari	Lawalong	46	24.0137 N, 84.6162 E	348582
46	Remi	Lawalong	205	24.0029 N, 84.5893 E	348581
47	Charu	Lawalong	1	24.0063 N, 84.6297 E	348585
48	Bisrampur Alias Rampur	Lawalong	130	24.0009 N, 84.5662 E	348579
49	Jhardag	Lawalong	64	24.9945 N, 84.5676 E	348580
50	Baheradih	Lawalong	6	24.1496 N, 84.7199 E	348548
51	Lemodih	Lawalong	31	24.1324 N, 84.6876 E	348555
52	Manarwa	Lawalong	101	24.1293 N, 84.7001 E	348556
53	Lutu /Lutuwa	Lawalong	44	24.1158 N, 84.7615 E	348603
54	Madandih	Lawalong	137	24.10972 N, 84.7659 E	348610
55	Hurdag	Lawalong	14	24.0987 N, 84.7576 E	348609
56	Kadhe	Lawalong	43	24.0825 N, 84.7399 E	348605
57	Teuna	Lawalong	45	24.0785 N, 84.7083 E	348562
58	Bhangia	Lawalong	1	24.0717 N, 84.6737 E	348564
59	Lawalong	Lawalong	413	24.0669 N, 84.7423 E	348604
60	Jobhi	Lawalong	49	24.0549 N, 84.6598 E	348589
61	Katea Macha Mahua	Lawalong	0	24.0470 N, 84.6228 E	348570
62	Sikni	Lawalong	135	24.0408 N, 84.7112 E	348595
63	Larey	Lawalong	6	24.0449 N, 84.6709 E	348590
64	Rechag	Lawalong	3	24.0037 N, 84.6069 E	348583

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.13 20:09:35 +05'30'